ISSN 0973-3914

रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेस

Peer- Reviewed Research Journal

UGC Journal No. (Old) 40942
Impact Factor 5.125 (IIFS)
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory © ProQuest, U.S.A. Title Id: 715205

Centre for Research Studies
REWA (M.P.)

2022

www.researchjournal.in

अंक 37 हिन्दी संस्करण वर्ष - 19 जुलाई-दिसम्बर 2022

आई. एस. एस. एन. 0973-3914

रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेस

Peer-Reviewed Research Journal
UGC Journal No. (Old) 40942
Impact Factor 5.125 (IIFS)
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest
U.S.A. Title Id : 715205

अंक-37	हिन्दी संस्करण	वर्ष-19	जुलाई - दिसम्बर 2022

डॉ. अखिलेश शुक्ल
ऑनरेरी सम्पादक
प्राध्यापक, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
प्रतिष्ठित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड तथा पं. गोविन्द वल्लभ पंत एवार्ड से सम्मानित
akhileshtrscollege@gmail.com

डॉ. संध्या शुक्ल
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
drsandhyatrs@gmail.com

डॉ. गायत्री शुक्ल
अतिरिक्त निदेशक, सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
shuklagayatri@gmail.com

डॉ. आर. एन. शर्मा
सेवानिवृत्त आचार्य, उच्च शिक्षा, रीवा
rnsharmanehru@gmail.com

सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
की मुख्य शोध पत्रिका
म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत
पंजीयन क्रमांक 1802, सन् 1997

विषय विशेषज्ञ/परामर्श मण्डल

1. डॉ. अरविंद जोशी, सेवानिवृत आचार्य, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी
arvindvns@outlook.com
2. डॉ. रामशंकर, कुलपति, पं. शम्भूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय, शहडोल
rs_dubey@yahoo.com
3. डॉ. डी. एस. राजपूत, आचार्य, डॉक्टर हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर
drdiwakarrajeut@rediffmail.com
4. डॉ. बी. के. सिंह, आचार्य, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी
imdrbrajesh.kv@gmail.com
5. डॉ. अंजली श्रीवास्तव, सेवानिवृत आचार्य, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा
anjali_apsu@rediffmail.com
6. डॉ. बी. पी. बडोला, सेवानिवृत्त आचार्य, कांगड़ा हिमाचंल प्रदेश
bpbadola@gmail.com
7. डॉ. आभा सक्सेना, सह प्राध्यापक, अग्रसेन कन्या स्वशासी महाविद्यालय वाराणसी
drabhasaxena7@gmail.com
8. डॉ. प्रज्ञा मिश्रा, आचार्य, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट
pragyamishramgcgv@gmail.com
9. डॉ. आशीष सक्सेना, आचार्य, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।
ashish.ju@gmail.com
10. डॉ. ज्योति उपाध्याय, आचार्य, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश
drjyotiupadhyay11@gmail.com
11. डॉ. प्रमिला पुनिया, सह प्राध्यापक, इतिहास, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान
pramilapoonia@rediffmail.com
12. डॉ. मृदुल जोशी, आचार्य, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार
dr_mriduljoshi@yahoo.com
13. डॉ. शैलजा दुबे, प्राध्यापक, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल
shailjadubey70@yahho.in
14. डॉ. प्रमिला श्रीवास्तव, आचार्य, शासकीय कला महाविद्यालय कोटा राजस्थान
dr21pramila@gmail.com
15. डॉ. जयशंकर शाही, आचार्य, अलवर राजस्थान
jayshankarshahi@gmail.com
16. डॉ.एन. पी. त्रिपाठी , सेवानिवृत्त आचार्य, रीवा मध्य प्रदेश
17. डॉ. राजेश भट्ट, एच. एन. बी. केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखंड
rajeshbhatt11@gmail.com

Guide Lines

- **General:** English and Hindi Editions of Research Journal are published separately. Hence Research Papers can be sent in Hindi or English.
- **Manuscript of research paper:** It must be original and typed in double space on the one side of paper (A-4) and have a sufficient margin. Script should be checked before submission as there is no provision of sending proof. It must include Abstract,Keywords, Introduction, Methods, Analysis, Results and References. Hindi manuscripts must be in Devlys 010 or Kruti Dev 010 font, font size 14 and in double spacing. All the manuscripts should be in two copies and in Email also. Manuscripts should be in Microsoft word program. Authors are solely responsible for the factual accuracy of their contribution.
- **References :** References must be listed cited inside the paper and alphabetically in the order- Surname, Name, Year in bracket, Title, Name of book, Publisher, Place and Page number in the end of research paper as under- Shukla Akhilesh (2018) Criminology, Gayatri Publications, Rewa : Page 12.
- **Review System:** Every research paper will be reviewed by two members of peer review committee. The criteria used for acceptance of research papers are contemporary relevance, contribution to knowledge, clear and logical analysis, fairly good English or Hindi and sound methodology of research papers. The Editor reserves the right to reject any manuscript as unsuitable in topic, style or form without requesting external review.

लेखकों से निवेदन–

- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेज (ISSN-0973-3914) सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज की मुख्य शोध पत्रिका है, जो मानव संसाधन मंत्रालय तथा पंजीयक समाचार पत्र एवं पत्रिका, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा पंजीकृत हैं।
- शोध पत्रिका उलरिच इन्टरनेशनल पीरियाडिकल्स डाइरेक्ट्री प्रोक्वेस्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका से इंडेक्स्ड और लिस्टेड हैं।
- शोध पत्रिका का अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करण अलग–अलग प्रकाशित होता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेस का प्रकाशन प्रतिवर्ष जून एवं दिसंबर में किया जाता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेस को इम्पैक्ट फैक्टर एवं आई.एस.एस.एन प्राप्त हैं। शोध पत्रिका Peer-Reviewed हैं।
- शोध पत्रिका के नवीनतम अंक में प्रकाशित शोध पत्रों को हमारी वेबसाइट www.researchjournal.in (Current Issue) में देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है।
- शोध पत्रिका का प्रिंट एडीशन सदस्यों को अलग से डाक द्वारा भेजा जाता है।
- शोध पत्र में शीर्षक, नाम, पद, पदस्थापना का विवरण, पत्र व्यवहार का पता तथा दूरभाष क्रमांक,
- मोबाइल नं., ई–मेल एड्रेस अवश्य दिया जाये।
- शोध पत्र के प्रारम्भ में कम से कम 50–100 शब्दों का सारांश दिया जाये।
- मुख्य शब्द सारांश के नीचे टाइप कराया जाये।

- शोध पत्र में शोध पद्धति तथा शोध में प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- शोध पत्र में निष्कर्ष और अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची दी जाये। संदर्भ ग्रंथों का विवरण पूरा दिया जाये। लेखक का नाम, वर्ष, पुस्तक का नाम, प्रकाशक का विवरण, प्रकाशक का स्थान और पृष्ठ संख्या आदि का विवरण दिया जाना चाहिए।
- शोध पत्र माईक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में टाइप किया हुआ होना चाहिए। (नोट- पेज मेकर की फाइल, पी.डी.एफ. फाइल, स्कैन मैटर आदि में कदापि शोध पत्र न भेजें) शोध पत्र हिन्दी लिपि में कृतिदेव या देवलिस फांट 010(फॉन्ट साइज 14, स्पेस डबल, मार्जिन ए-4 साईज के कागज में चारो तरफ 1 इंच) में भेजा जाना चाहिए।
- शोध पत्र के साथ यह घोषणा अवश्य संलग्न करें कि शोध पत्र मौलिक है तथा इसे कहीं अन्यत्र प्रकाशनार्थ प्रेषित नहीं किया गया है।

सर्वप्रथम शोध पत्र ई-मेल द्वारा भेजें-

researchjournal97@gmail.com,
researchjournal.journal@gmail.com

शोध पत्र की स्वीकृति की सूचना सम्पादकीय कार्यालय द्वारा लेखक को ई-मेल एवं दूरभाष द्वारा प्रदान की जाती है।

© सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज

एक अंक रुपये 500.00

-सदस्यता शुल्क -		
अवधि	व्यक्तिगत सदस्यता	संस्थागत सदस्यता
वर्ष एक	2000-00	2500-00
वर्ष दो	2500-00	4000-00

सदस्यता शुल्क की राशि गायत्री पब्लिकेशन्स के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ब्रांच-रीवा सिटी (आईएफएस कोड 0004667 MICR Code 486002003) के खाता क्रमांक 30016445112 में जमा की जाय।

प्रकाशक: गायत्री पब्लिकेशन्स
रीवा- 486001 (म.प्र.)

मुद्रक: ग्लोरी ऑफसेट
नागपुर

संपादकीय कार्यालय
186/1, विन्ध्य विहार कॉलोनी
लिटिल बैम्बीनोज स्कूल कैम्पस
रीवा- 486001 (म.प्र.)
दूरभाष- 7974781746
E-mail- researchjournal97@gmail.com, researchjournal.journal@gmail.com
www.researchjournal.in

रिसर्च जरनल में प्रस्तुत किये गये विचार और तथ्य लेखकों के हैं, जिनके विषय में सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। रिसर्च जरनल के सम्पादन एवं प्रकाशन में पूर्ण सावधानी रखी गई है, किन्तु किसी त्रुटि के लिए सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। सम्पादन का कार्य अव्यावसायिक और ऑनरेरी है। सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र, रीवा जिला रीवा (म.प्र.) रहेगा।

सम्पादकीय

समाज की मूलभूत और सबसे महत्वपूर्ण इकाई प्रारंभ से परिवार ही रहा है। देश के सशक्तिकरण एवं विकास के लिए सबसे पहले परिवार जैसी बुनियादी संस्थाओं के नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयामों पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। समाज के विकास के लिए परिवार का संतुलित विकास अति महत्वपूर्ण है। अत: हमें यदि देश का संपूर्ण एवं संतुलित विकास करना है तो हमें परिवार नामक बुनियादी संस्था पर सबसे ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम परिवार में पुत्र और पुत्री के बीच कोई भी भेदभाव ना करें और यह हम अपने पुत्रों को आवश्यक रूप से समझाएं और उनके क्रियाकलापों में शामिल भी करवाएं। आज भी पुरानी मान्यता के जो लोग हैं, उनका यह मानना है कि औरत को कोई आजादी नहीं मिल सकती, वह अकेले कहीं नहीं जा सकती हैं, वह अकेले कहीं घूम-फिर नहीं सकती हैं, लेकिन इन मूल्यों को आज का युवा मानने से इनकार करता है।

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मकान में जो महत्वपूर्ण स्थान दीवालों का का होता है, समाज में वही महत्व लड़कों की शिक्षा का है। लेकिन घर बनता कैसे है? घर के आधार में कौन हैं? घर के आधार में हमारी पुत्रियां हैं, हमारी लड़कियां हैं, अर्थात उनका संबंध जड़ से है। समाज में अगर हमारी जड़ ही कमजोर हो गई तो हमारा घर या मकान बिल्कुल मजबूत नहीं हो सकता है। इस सामाजिक संदर्भ को यथार्थ में समझने की आवश्यकता है।

पक्षपात की हद तो तब हो जाती है जब छोटे छोटे कार्यों में हमें भेदभाव दिखता है। कुछ लोगों ख्याल है कि लड़की पराया धन होती है, उसे कौन सी नौकरी करनी है। इसलिए कुछ मां-बाप लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं और यह भेदभाव हमारे व्यवहार में खिलाने-पिलाने में पहनाने-उढ़ाने में भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। यह सरासर अन्याय है। ईश्वर ने लड़के और लड़कियों को एक जैसा मस्तिष्क दिया है और आज लड़कियां बेहतर परिणाम लाकर यह सिद्ध भी कर रही है।

लड़कियां तो मां-बाप के घर कुछ ही दिन रहती है, इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनके शिक्षा-दीक्षा, पालन-पोषण पर गहराई से ध्यान दें, तभी हम एक सशक्त समाज की संकल्पना को पूरा कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें हमारे बच्चों का ट्रस्टी बनाया है इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम पूरे न्याय के साथ सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करें क्योंकि लड़के और लड़कियों दोनों में एक जैसी शक्ति है, एक ही आत्मा है। अत: हमें उन्हें विकास का समान अवसर दिया जाना चाहिए।

महिला सशक्तिकरण का मूलभूत उद्देश्य महिलाओं का विकास और उनमें आत्मविश्वास का संचार करना हैं। महिला सशक्तिकरण समाज के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं का सशक्तिकरण सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रघटना है, क्योंकि वे रचनाकार होती हैं। अगर आप उन्हें सशक्त करें, उन्हें शक्तिशाली बनाएं, प्रोत्साहित करें, यह समाज के लिए बेहतर है। महिला और पुरूष सृष्टि निर्माण और मानव समाज के आधार हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये जीवन रूपी रथ के ऐसे पहिये हैं

जिनसे जीवन-यात्रा सुचारू रूप से संचालित होती है। परिवार और समाज में स्थायित्व के लिए दोनों की ही भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण रही हैं। किसी समाज में परिवर्तन और विकास का आधार पुरूषों और महिलाओं के पारस्परिक मेल-जोल, कदम से कदम मिलाकर चलने और दोनों की समान गतिशीलता पर ही निर्भर है। किसी भी एक पक्ष के पिछड़ने पर सामाजिक जीवन में अराजक स्थिति निर्मित होती है। मानव जाति का इतिहास इसका साक्षी हैं कि जहाँ महिलाओं की उपेक्षा की गई है, वहाँ समाज का विकास अवरूद्ध हुआ है। सृष्टि की रचना, बच्चों की शिक्षा, परिवार की परवरिश के रूप में महिला की भूमिका पुरूष से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होने से समाज रचना में उसकी स्थिति केन्द्रीय हो जाती है। अतः स्त्रियों की उन्नति के बिना मानव जाति और समाज का उत्थान नहीं हो सकता। जहाँ तक भारत का संबंध हैं "यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता" अर्थात् जहाँ महिलाओं की पूजा होती है। वहां देवताओं का वास होता है। इस आदर्श के साथ कोई भी भारतीय स्त्री पश्चिमी स्त्री की तुलना में गौरव का अनुभव कर सकती हैं। विद्या का आदर्श सरस्वती में,धन का आदर्श लक्ष्मी में, पराक्रम का आदर्श दुर्गा में, पवित्रता का आदर्श गंगा में, यहाँ तक कि सृष्टि सृजन का आदर्श जगद् जननी के रूप में हमें केवल भारत में ही देखने को मिलता हैं।

(डॉ. अखिलेश शुक्ल)
प्रधान सम्पादक

अनुक्रमणिका

01 वीर सावरकर: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय चरित्र 09
अरुण श्रीवास्तव

02 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की महिलाओं का योगदान 15
राजेश चन्द्र पालीवाल

03 डॉ. लोहिया का सांस्कृतिक चिन्तन: रामायण मेला योजना के विशेष सन्दर्भ में 20
सुधा गुप्ता

04 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना का समाजशास्त्रीय अध्ययन (आगरा जिले के पिनाहट विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में) 25
भूरी सिंह, अतुल कुमार

05 भारतीय जीवन में शिवोपासना का धार्मिक महत्व 30
अशुतोष शुक्ल

06 महात्मा गाँधी : महिला विकास के प्रति दृष्टिकोण 39
सीमा श्रीवास्तव

07 महिला नेतृत्व के साामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण (रीवा जिले की पंचायतों के विशेष संदर्भ में एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन) 44
कोमल पांडे, अखिलेश शुक्ल

08 महिला अपराधिता पुनर्वास एवं जेल व्यवस्था 53
गजानन मिश्र

09 घरेलू हिंसा: वर्तमान समय की गहन समस्या व समाधान 60
अलका रानी

10 भारतीय अर्थव्यवस्था और वर्तमान आर्थिक चुनौतियाँ: एक विश्लेषण 66
बिन्ध्याचल साह

11 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: सम्भावनाएँ एवं चुनौतियाँ 78
सिद्धार्थ मिश्र

12 वैश्वीकरण का सामाजिक- आर्थिक प्रभाव 82
अजय सिंह गहरवार, अवनीश सिंह, महानन्द द्विवेदी

13 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र में स्टार्टअप योजना 92
संगीता कुँभारे

14 स्टार्ट अप योजना एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं का सशक्तिकरण:एक समाजशास्त्रीय अध्ययन 101
कृष्ण कुमार पटेल, एस.एम.मिश्रा

15 सतना जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समस्या एवं समाधान 108
गायत्री देवी, आर. पी. गुप्ता

16 मध्यप्रदेश में कृषि विकास की संभावनाएं एवं चुनौतियां 115
सुनीता सोलंकी

17 पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य (नईगढ़ी-पिपराही के संदर्भ में) 121
वंदना मिश्रा

18	शहडोल संभाग में पर्यटन विकास का पारिस्थितिकी पर प्रभाव **बी. पी. सिंह, सविता पटेल**	127
19	समाज और संस्कृति की विकास यात्रा (भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में) **दिव्या मिश्रा**	133
20	शिव ब्रात है? **अशुतोष शुक्ल**	137
21	श्रीमद्भगवद्गीता में मोक्ष योग **प्रत्यूष वत्सला द्विवेदी**	143
22	जैवविविधता और मानवीय क्रियाकलाप (पश्चिमी घाट के विशेष संदर्भ में) **सुनील बाबू विश्वकर्मा, आकृति खरे**	147
23	पराबैंगनी किरणें ओजोन परत को किस तरह प्रभावित करती हैं **मंजरी अवस्थी**	152
24	भारतीय संस्कृति में स्वदेशी खेलो की प्रासंगिकता का महत्व **ममता**	156
25	भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित भावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन **पुरूषोत्तम कुमार साहू, अविनाश कुमार लाल**	166
26	लिंग भेदभाव का महिलाओं के विकास के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन (सतना जिले के विशेष संदर्भ में) **राधा मिश्रा , अमर जीत सिंह, अजय आर. चौर**	171
27	महिला एवं बाल विकास योजनाओं का ग्रामीण महिलाओं की पारिवारिक स्थिति पर प्रभाव (जिला सतना के विशेष संदर्भ में) **विमलेश द्विवेदी, अखिलेश शुक्ल**	179
28	लैंगिक असमानता के कारण एवं समाधान का समाजशास्त्रीय अध्ययन **राधा मिश्रा, अमर जीत सिंह, अजय आर. चौर**	188
29	महिला नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास (सीधी जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों के विशेष संदर्भ में) **शिखा पाण्डेय, अखिलेश शुक्ल**	194
30	बाल मानवाधिकार एवं भारत के समक्ष चुनौतियां **जगदीश प्रसाद, सर्वोत्तम कुमार**	198
31	भारत में रोजगार की प्रवृत्तियाँ : महिलाओं के विशेष संदर्भ में **कुमुद श्रीवास्तव**	203
32	पंचायतीराज अधिनियम का प्रभाव महिला नेतृत्व एवं सामाजिक जागरुकता (सीधी जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों के विशेष संदर्भ में) **शिखा पाण्डेय, अखिलेश शुक्ल**	210
33	अंतर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत बच्चों के शिक्षा के अधिकार: भारत के संदर्भ में **जगदीश प्रसाद, सर्वोत्तम कुमार**	117
34	सल्तनकालीन महोबा **महेन्द्र मणि द्विवेदी, रानू चौरसिया**	223

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

अंतर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत बच्चों के शिक्षा के अधिकार: भारत के संदर्भ में

•जगदीश प्रसाद
•• सर्वोत्तम कुमार

सारांश- देश में महिलाओं की स्थिति, खासकर ग्रामीण समाज के पिछड़े तबके से आती हैं, दयनीय है। बच्ची अपने जन्म के पहले से ही भेदभाव का शिकार होती हैं और जन्म के बाद भी उनके साथ खान-पान, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि के मामलों में भेदभाव किया जाता है और किशोरावस्था आते-आते उनकी शादी कर दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों की ज्यादातर महिलाओं को खाना पकाने, पानी लाने, बच्चों को स्कूल भेजने, जानवरों को चारा देने, गाय दुहने जैसे कम दृष्टिगोचर काम करने पड़ते हैं। जबकि, पुरुषों के हिस्से ऐसे काम होते हैं जो अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, जैसे- दूध की बिक्री, खेती करना और खेती के उत्पाद बेचकर धन कमाना। अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं की स्थिति भी ठीक नहीं। वे केवल अल्पसंख्यक ही नहीं होतीं बल्कि वे हासिए पर पड़े बहुसंख्यक समुदाय के भी अंग होती हैं। परिवार के अहम फैसलों में उनकी कोई इच्छा नहीं पूछी जाती और सामाजिक कामों में भी उन्हें भाग लेने के अवसर नहीं दिए जाते और इस प्रकार समाज से मिलने वाले लाभों में उनकी भागीदारी बराबर की नहीं होती।

मुख्य शब्द - मानवाधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वलौकिक मानवाधिकार की घोषणा, भारतीय संविधान, अंतर्राष्ट्रीय बिल ऑफ राइट्स

प्रस्तावना- किसी भी सभ्य समाज में बच्चों का अधिकार समस्त मानवाधिकारों में सर्वप्रथम आता है। बच्चे अंतर्राष्ट्रीय समाज अथवा किसी राष्ट्र की प्रगति व उन्नति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्पत्ति होते हैं। बच्चों में निवेश न केवल बच्चों के परिवार के लिए भविष्य के सर्वोत्तम निवेश है, बल्कि सम्पूर्ण समाज व सभ्यता के उज्जवल भविष्य के लिए सर्वोत्तम निवेश है, और यह तभी संभव है जबकि बिना किसी भेदभाव के भारत सहित सभी विकाशसील व विकसित देशों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले। कल का विश्व कैसा होगा, इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा मुहैया करायी जा रही है । शिक्षा ही एक ऐसा उपकरण है जो बच्चों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक तथा नैतिक रूप से विकास करने में मदद करता है,

• एसोशिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
•• शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

साथ ही बच्चों में सर्वोत्तम गुणों के विकास में सहायता करता है, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए वरदान साबित हो सकता है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने कई अभिकरणों व सार्वलौकिक मानवाधिकार की घोषणा (1948) के द्वारा बच्चों के अधिकारों की अभिवृद्धि व रक्षा के लिए, विशेष कर अनुच्छेद 26-29 के अन्तर्गत बच्चों के शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित किया ताकि पक्षकार राज्य अपने-अपने देश में बच्चों के शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था कर सके। भारत एक ऐसा विकाशसील देश है जिसने अपने प्रगतिशील संविधान (1950) के अन्तर्गत राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में बच्चों के शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया और 2002 में 86 वें संवैधानिक संशोधन के अन्तर्गत अनुच्छेद 21-। को समाविष्ट करते हुए तथा शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया जो कि बच्चों के शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ और बच्चों के मानवाधिकार- संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ ही इसके संस्थापक सदस्य जिसमें भारत भी एक सदस्य था, ने यह समझ लिया था कि बच्चों के अधिकारों को अगर कोई समाज अवहेलना करता है तो इसका तात्पर्य है सामाजिक न्याय मानवीय मूल्यों का अभाव की विद्यमानता बच्चों का सर्वांगीण विकास व उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास शिक्षा के अधिकार के प्रावधान के बिना संभव नहीं है । इसलिए सार्वलौकिक मानवाधिकार घोषणा (1948) के अन्तर्गत अन्य अधिकारों सहित बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर अनुच्छेद 26 में विशेष प्रावधान का उल्लेख है, जो निम्न रूप से है[1] -

1. प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। शिक्षा कम से कम प्रारंभिक और मौलिक स्तर पर निःशुल्क होगी और प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य होगी।
2. शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वंतत्रताओं की अभिवृद्धि व सुदृढ़ीकरण होगा।
3. माता-पिता को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के प्रकार चुनने का अधिकार होगा।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने शिक्षा मानवाधिकार दशक (1995 से 2004) के रूप में घोषणा किया जिसमें विश्व के सभी बच्चों को शिक्षा देने की प्राथमिकता पर विशेष बल दिया गया। इसी प्रकार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार पर प्रसंविदा (1966) के अनुच्छेद 10, 13 व 14 में बच्चों के शिक्षा के प्राथमिक शिक्षा व अधिकार पर बल दिया गया है और 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क प्रदान करने की बात कही गई है तथा माता-पिता को शिक्षा के प्रकार को चुनने की स्वतंत्रता की बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने 1989 में बच्चों के मानवाधिकार पर एक अभिसमय पारित किया जिसमें उनके विस्तृत अधिकारों की चर्चा है तथा अनुच्छेद 28 एवं अनुच्छेद 29 में बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर विस्तृत उल्लेख है, जो संक्षेप में निम्न है-

अनुच्छेद (28)- इस अनुच्छेद में राज्य पक्षकार को अपने देश में बच्चों के शिक्षा को समान अवसर के आधार सुनिश्चित करने के लिए बाध्यकर ठहराया गया है तथा सभी के

लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व नि:शुल्क उपलब्ध कराने की बात कही गई है । इस अनुच्छेद में राज्य पक्षकार को वैसे कदम उठाने की बात कही गई है जिससे स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति नियमित हो तथा स्कूल छोड़ने के दर में कमी आये । विकाशसील देशों में स्कूलों में बच्चों का ड्रॉप-आउट रेट अधिक देखने को मिलती है, खासकर शोषित, गरीब व आदिवासी परिवार के बच्चों में। उच्च शिक्षा तक सभी की पहुँच हो सके इस दिशा में राज्य पक्षकार को कदम उठाने की बात कही गई है । राज्य पक्षकार को निर्देश दिया गया है कि वे शिक्षा के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देंगे तथा प्रोत्साहित करेंगे, विशेष रूप से दुनिया भर में अज्ञानता और निरक्षरता के अन्मूलन में योगदान देंगे और वैज्ञानिक और (तकनीकी) ज्ञान की अभिवृद्धि में योगदान देंगे।

अनुच्छेद (29)- इस अनुच्छेद में भी राज्य पक्षकार को बच्चों के बेहतर शिक्षा के संबंध में दिशा-निर्देश दिया गया है। इस अनुच्छेद में निहित समस्त प्रावधानों का पालन करने के सम्बंध राज्य पक्षकार सहमत है। जैसे बच्चों के व्यक्तित्व, प्रतिभा, मानसिक और शारीरिक क्षमताओं का विकास उनकी पूरी क्षमता तक; मानव अधिकारों और मौलिक स्वंतत्रता के लिए सम्मान का विकास और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांतों के लिए; बच्चों के माता- पिता, उसकी अपनी सांस्कृतिक पहचान, भाषा और मूल्यों के लिए सम्मान का विकास, उस देश के राष्ट्रीय मूल्यों के लिए जिसमें बच्चे रह रहे हैं । इस अनुच्छेद में यह भी व्यवस्था की गई है कि वर्त्तमान अनुच्छेद या अनुच्छेद 28 के किसी भी भाग को इस तरह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह व्यक्तियों और निकायों की शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और निर्देशित करने की स्वंतत्रता में हस्तक्षेप करें।[2]

उपर्युक्त तथ्य व प्रावधान समस्त विश्व के स्तर पर इन समस्त घोषणाओं का निर्विवाद क्रियान्वित करने के इरादे को प्रतिबिम्बित करता है। यह मानवाधिकार की राजनीति का विषय नहीं हो सकता है । अनुच्छेद 28 व 29 में अच्छी-अच्छी घोषणाएँ की गई है, लेकिन धरातल पर इन घोषणाओं का क्रियान्वयन व उपलब्धि अत्यंत ही सीमित व कठिन रहा है। यह चिंता का विषय है। इन घोषणाओं का लागू करने में सभी पक्षकार संवेदनशील नहीं है। इन आदर्श उद्देश्य की उपलब्धि संतोषजनक नहीं है। इस दिशा में प्रगति अत्यंत ही धीमी है। सम्पूर्ण विश्व में पचास सालों में साक्षरता दर में वृद्धि होने के बावजूद अभी भी 773 मिलियन से अधिक वयस्क अभी भी निरक्षर है, जिसमें अधिकांश महिलाएँ व बच्चे हैं। अरब और अफ्रीका राज्यों में 10 में से 8 बच्चे और एशिया में 10 में से 5 बच्चे न तो पढ़ सकते है और न लिख सकते है।[3]

जहाँ तक भारत की बात है देश की जनसँख्या का लगभग एक तिहाई जनसँख्या अशिक्षित है और स्कूल जाने वाले लगभग आधे बच्चे स्कूल से बाहर हो जाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सभी देश बिना किसी अपवाद के अधिक प्रयास के बावजूद निरक्षरता एवं स्कूल छोड़ने पर नियंत्रण नहीं कर पाया है । आज भी शिक्षा को लेकर लड़कों एवं लड़कियों के बीच भेदभाव विद्यमान है।

भारत में बच्चों की शिक्षा- भारत में बाल मानवाधिकार एवं बाल शिक्षा के अधिकार को लेकर हमारे संविधान निर्माता व नीति नियंता अत्यंत ही सजग थे। यही कारण है कि उन्होंने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्वों के

अन्तर्गत बाल मानवाधिकार एवं बाल शिक्षा के अधिकारों के सम्बंध में विभिन्न प्रावधान किये। हमारे संविधान पर सार्वलौकिक मानवाधिकार की घोषणा (1948) का व्यापक प्रभाव है, विशेषकर मौलिक अधिकार व शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में। भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों के अन्तर्गत चौदह वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था से स्पष्ट होता है कि हमारे संविधान निर्माता बच्चों के भविष्य व विकास को लेकर काफी चिंतित थे।

भारतीय संविधान के भाग 4 के अन्तर्गत राज्य के नीति-निदेशक तत्व में बाल शिक्षा के सम्बन्ध में कई प्रावधान किये गए।[4] अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि संविधान क्रियान्वयन से दस वर्ष के भीतर सभी बच्चों को चौदह साल होने तक अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रत्यन करेगा।[5] तब से लेकर अगामी सरकार द्वारा 10 वर्ष की अवधि में वृद्धि करती रही है। अनुच्छेद 39 के अनुसार श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु की या शक्ति के प्रतिकूल हो। बच्चों को स्वस्थ तरीके से तथा स्वतंत्र और गरिमा के साथ विकसित होने के अवसर प्राप्त हो तथा बचपन और युवा अवस्था का शोषण एवं नैतिक व भौतिक परित्याग के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त हो।[6]

भारत राज्यों का एक संघ है और इसका स्वरूप संघीय है। संघ एवं राज्य के क्षेत्राधिकार संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। शिक्षा के विषय आरम्भ में संघ के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सम्मिलित था, लेकिन 1976 में शिक्षा को समवर्त्ती सूची में डाल दिया गया अर्थात इस विषय पर केन्द्र एवं राज्य दोनों सरकारों को कानून व नीति बनने का अवसर प्राप्त हो गया और भारत में केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने अपने-अपने स्तर से बच्चों की शिक्षा की बेहतरी के लिए काफी सराहनीय कार्य किया है जिससे साक्षरता दर में आशातीत वृद्धि हुई है।[7] राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) 1986 का लक्ष्य था "सभी के लिए शिक्षा" तथा 2000 तक प्राइमरी शिक्षा को सार्वलौकिक करने की प्रतिबद्धता।[8] जब 1989 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मलेन पारित हुआ तो भारत ने भी उस पर हस्ताक्षर किया तथा बच्चों के अधिकारों को इस सम्मलेन में उदघोषणा व निहित प्रावधानों के अनुकूल उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के प्रति विशेषकर शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के प्रति भारत ने अपनी प्रतिबद्धता जतायी। सरकार ने राष्ट्रीय व राज्य कानूनों की समीक्षा करने और कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुकूल कानून बनाने की बात की तथा सम्मलेन के अन्य प्रावधानों को लागू करने के प्रति प्रतिबद्ध प्रदर्शित की ताकि बच्चों का विकास हो सके।

बच्चों के शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चितीकरण में तब क्रांतिकारी परिवर्तन आया जबकि 2009 में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 पारित हुआ, जो बच्चों के लिए नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों का मौलिक अधिकार बनाने वाले 135 देशों में से एक भारत भी बन गया अर्थात् संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21। के अन्तर्गत आज भारत में

शिक्षा एक मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त कर लिया है। नई शिक्षा नीति, 2020 में बच्चों के विकास व शिक्षा से सम्बंधित व्यापक प्रावधान है जो 5 + 3 + 3 + 4 के सूत्र पर आधारित है ।9 नई शिक्षा नीति का व्यापक लक्ष्य व उद्देश्य है जो नये भारत के निर्माण के लक्ष्य को प्रदर्शित करता है।

निष्कर्ष- निःसंदेह अंतर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत तथा बच्चों के अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता (1989) में उनके भविष्य को संवारने तथा उनके व्यक्तित्व के विकास को गति देने के लिए तथा एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए शिक्षा के अधिकार को जो सर्वोच्च स्थान दिया गया, वह प्रशंसनीय है। लेकिन उन प्रसंविदाओं (1966) व अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में निहित विभिन्न प्रावधानों का धारातल पर पूरी तरह क्रियान्वित नहीं हुआ है। यह एक चिंता का विषय भी और विकाशसील देशों के समक्ष चुनौती भी है । इसका एक बड़ा कारण आर्थिक संसाधन की कमी भी है। बच्चों के शिक्षा पर भारत जैसे विभिन्न देशों में अलग से बजट बनाने की आवश्यकता है। जहाँ तक भारत में शिक्षा की व्यवस्था का प्रश्न है तो भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय विधि, समझौता व प्रसंविधाओं में निहित शिक्षा सम्बंधी विविध प्रावधानों को लागू करने का सराहनीय प्रयास किया है। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया जा चुका है। यही कारण है कि भारत में न केवल साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, बल्कि भारत के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है और भारत के अलावे विश्व पटल पर भी अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया है। हाँ, यह भी सच्चाई है कि देश के छः साल तक के 2.3 करोड़ बच्चों को अभी भी स्कूल नसीब नहीं है । डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्मेशन सिस्टम और एजुकेशन (डाइस) की एक रिपोर्ट के अनुसार हर 100 बच्चों में से महज 32 बच्चे ही स्कूली शिक्षा पा रहे हैं। इसमें करीब एक करोड़ बच्चे ऐसे है जो घर की खराब आर्थिक स्थिति के चलते पढ़ाई के साथ काम करने को भी मजबूर है । ये सभी चिंता का विषय है । बच्चों के लिए शिक्षा का कितना महत्व है राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्ण के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि, "बच्चे समाज व राष्ट्र के भविष्य व धरोहर होते हैं जिन्हें बेहतर तरीके से संरक्षित करना आवश्यक है।" और इसके लिए सभी बच्चों की शिक्षा को न केवल सुनिश्चित करना होगा, बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी प्रदान करना होगा ताकि उनका नैतिक, अध्यात्मिक व शारीरिक विकास हो सके, क्योंकि आज के बच्चे कल के भविष्य हैं ।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. Universal Declaration of Human Rights, 1948.
2. Convention on the Rights of the Child, 1989.
3. Bani, Bargohani, Human Rights, Social Justice and Political Change, Kanishka, 1999, New Delhi, P160.
4. Premji, Azim, A Teaching Experience; A child's Right to Education; The Times of India, 9 Dec, 2000.
5. The Constitution of India

6. Ibid
7. Ibid
8. National Policy for Children, 1974.
9. New Education Policy (NEP), 2020.